कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, चित्रकूट।

पत्रांक– 3188 / 33-1 चित्रकूट,दिनांक,फरवरी, 01 ,2018

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
ग्रामीण चित्रकूट, चित्रकूट।

विषयः– **पेयजल योजना मऊ की 33के0वी0 विद्युत लाइन निर्माण के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **इस कार्यालय का पत्रांक–620/33–1 दिनांक 09.08.2017 तथा 3079/33–1 दिनांक 27.01.2018 के क्रम में आपका पत्रांक–62/वि0वि0ख0ग्रा0 चित्रकूट दिनांक 31.01.2018**

महोदय,

विषयांकित एवं संदर्भित पत्रों के सम्बन्ध में आपका प्रतिउत्तर की वन विभाग द्वारा दिनांक 27.01.2018 को दर्ज की गयी आपत्तियां औचित्य पूर्ण नहीं है, अनुचित है। उपरोक्त आपत्तियॉ अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको दिनांक 09.08.2017 के क्रम में दी गयी गाइडलाइन/चेकलिस्ट के अनुसार ही दर्ज की गई है। ज्ञात्वय हो कि चेकलिस्ट के अनुरूप वांछित समस्त औपचारिकताओं की प्रतिपूर्ति किये बिना राज्य सरकार एवं भारत सरकार से वन भूमि हस्तान्तरण की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः कृपया तदनुसार ही नियमानुसार आपत्तियों का निराकरण करें। इस प्रसंग में आपसे दिनांक 31.01.2018 को दूरभाष पर कथन भी अमान्य है।

आज दिनांक 01.02.2018 को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 श्री आर0आर0 जमुआर जी द्वारा भी आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। अतः कृपया पुनः संलग्न चेकलिस्ट के अनुरूप समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति शीघ्र कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करवायें। यदि इन औपचारिकताओं की पूर्ति में अधोहस्ताक्षरी से किसी प्रकार का सहयोग अपेक्षित हो तो तत्काल सम्पर्क करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

M. Tripathi
(आर0के0 त्रिपाठी) 01-02-18
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, चित्रकूट

संख्या– 3188 /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
2. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
3. मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980,
4. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम, बांदा।
5. मुख्य अभियंता विद्युत बांदा क्षेत्र, बांदा।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, चित्रकूट।

M. Tripathi
(आर0के0 त्रिपाठी) 01-02-18
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, चित्रकूट

O/C